

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2019/1116

दिनांक:- 19/11/2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की 239वीं बैठक दिनांक 08.11.2019 के बिन्दु संख्या 239.27 के निर्णय अनुसार प्रताप नगर आवासीय योजना के विभिन्न अपार्टमेंटों में विभिन्न आय वर्ग के 19 एवं महला आवासीय योजना के विभिन्न आय वर्ग के 163 कुल 182 फ्लैटों उप आवासन आयुक्त वृत्त-तृतीय एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, जयपुर द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से 0 - 25 व 0 - 50 प्रतिशत स्लेब में निस्तारण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, जयपुर की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ई-ऑक्शन में 0-25 एवं 0-50 प्रतिशत ऋणात्मक वर्तमान आरक्षित दर में निस्तारण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	योजना का नाम	आय वर्ग	फ्लैट संख्या		कुल आवास
			0-25 प्रतिशत	0-50 प्रतिशत	
1.	सतलज अपार्टमेंट, सेक्टर-28	LIG (G+3) GF	-	28/ST/L/177, 28/ST/L/369	02
2.	गोदावरी अपार्टमेंट, सेक्टर-29	MIG-A (G+3) FF	29/M/06	-	01
3.	चिनाब अपार्टमेंट, सेक्टर-28	MIG-A (G+3) TF	C/9/16, D/1/16	-	02
4.	गोमती अपार्टमेंट, सेक्टर-18	MIG-A (S+11)	18/H/504 18/H/1001	-	02
5.	साबरमती अपार्टमेंट, सेक्टर-17	MIG-A (S+9) FF	17/B/F7/26	-	01
6.	सरस्वती अपार्टमेंट, सेक्टर-18	MIG-B (S+6)	18/D/19, 18/E/16, 18/E/21	-	03
7.	प्रताप अपार्टमेंट	MIG-B (S+10)	-	MB-2/201	01
8.	मेवाड़ अपार्टमेंट, सेक्टर-15	HIG (S+9)	HIG II-E/704	-	01
9.	गंगा अपार्टमेंट, सेक्टर-26	HIG (B+S+10)	26/B-2/A/104, 26/B-2/A/105, 26/B-2/A/106, 26/B-2/A/905, 26/B-2/A/1001, 26/B-2/A/1003	-	06
Total			16	03	19

11.	महला स्कीम, जयपुर	EWS (G+3) GF	B/E/3, 65, 209, 212	-	04
		EWS (G+3) SF	B/E/42, 220	-	02
		EWS (G+3) TF	B/E/14, 46, 47, 61	-	04
				-	Total- 10
12.	महला स्कीम, जयपुर	LIG (G+3), GF Block-A	A/L/81, 131, 161, 164, 210, 306, 356	-	07
		LIG (G+3), GF Block-B	B/L/34, 49, 51, 81, 82, 148, 209, 225, 228, 244, 246, 257, 258, 306, 308	-	15
		LIG (G+3), GF Block-C	C/L/4, 52, 193, 211, 226, 308, 322, 323, 324, 467, 516	-	11
		LIG (G+3), FF Block-A	A/L/21, 24, 38, 72, 86, 232, 279, 293, 296, 344, 424	-	11
		LIG (G+3), FF Block-B	B/L/5, 7, 54, 55, 88, 104, 119, 134, 168, 278	-	10
		LIG (G+3), FF Block-C	C/L/5, 183, 229, 232, 389, 456	-	6
		LIG (G+3), SF Block-A	A/L/9, 26, 41, 57, 124, 139, 156, 186, 187, 203, 217, 252, 267, 268, 299, 313, 316, 348, 379, 441, 442, 458, 460	-	23
		LIG (G+3), SF Block-B	B/L/9, 28, 330	-	3
		LIG (G+3), SF Block-C	C/L/44, 170, 187, 249, 298, 348, 555, 556	-	8
		LIG (G+3), TF Block-A	A/L/46, 62, 111, 112, 142, 189, 206, 350, 366, 368, 381, 400, 416, 462	-	14
		LIG (G+3), TF Block-B	B/L/15, 29, 46, 63, 80, 94, 96, 143, 144, 160, 175, 221, 223, 256, 258, 288	-	16
		LIG (G+3), TF Block-C	C/L/13, 45, 47, 176, 223, 237, 302, 335, 525	-	9
					-

महला स्कीम, जयपुर	MIG (G+3), GF	A/M/20, 35, 84	-	3
	MIG (G+3), FF	A/M/6, 8, 23, 38, 71, 73, 85	-	7
	MIG (G+3), SF	A/M/11, 41, 59, 89, 90	-	5
	MIG (G+3), TF	A/M/15, 29, 48, 61, 222	-	5
Grand Total		179	03	Total- 182

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा उक्त आवास/फ्लेटों का निस्तारण न्यूनतम ऋणात्मक वर्तमान आरक्षित दर में 0-25 एवं 0-50 प्रतिशत के Slab में रखते हुए ई-ऑक्शन के तहत मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 164 दिनांक 21.08.19 में निर्धारित पूर्ण शर्तों के अनुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(कश्मी कौर)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- प्रथम, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
4. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम रा0आ0म0, वृत्त जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तृतीय/चतुर्थ/पंचम/दशम/बारह, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक